न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मोहम्मद ताहिर (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 87 / 2018

1. विजेन्द्र बैरवा आयु 35 वर्ष आत्मज श्री जोहरी जाति बैरवा निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

— वादी

बनाम

1. कस्तूरचन्द माली आयु 50 वर्ष आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम संवर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. दुर्गाशंकर आयु 45 वर्ष आत्मज घांसीलाल जाति माली निवासी चमारों का झौपड़ा विनायका तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

— प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एंव आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थित :—

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह गौड़
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 24.06.2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एंव आदेशात्मक आज्ञा का दिनांक 18.10.2018 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 246 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 249 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम संवर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से को वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था प्रतिवादीगण बिना हक व अधिकार के वादी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा जबरन कब्जा करने

पर आमादा हो रहे है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी के निहित 1/2 हिस्से से प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल नही करे। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को पीडब्ल्यू 1 के रूप मे न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1 पेश की।

4. वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है **वादी वाद वर्णित कृषि भूमि मे निहित 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल करने में आमादा हो रहे है जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।** वादी वकील ने दौराने बहस दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी के द्वारा वाद वर्णित भूमि स्वयं के खातेदारी में है इस बाबत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रमाणित किया कि वाद वर्णित भूमि का वादी खातेदार है तथा स्वयं के वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया। प्रतिवादी की तरफ से ना तो वादी के वाद पत्र का जवाब पेश किया गया ना ही खण्डनात्मक साक्ष्य पेश की गई। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें, उपयोग, उपभोग में बाधा नही डाले उक्त कार्य ना तो स्वंय करे ना ही अन्य से करवाये।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की वाद वर्णित

खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नही डाले, उक्त कार्य ना तो स्वंय करे ना ही अन्य से करवाये। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)